भारत की राष्ट्रपति

श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

का

संविधान दिवस के अवसर पर सम्बोधन

नई दिल्ली - 26 नवंबर, 2026

संविधान दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूं। उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान दिवस मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कान्त जी एवं उच्चतम न्यायालय की पूरी टीम की सराहना करती हूं।

26 नवंबर 1949 को, भारत के लोगों ने अपने संविधान को अंगीकृत किया था। वर्ष 2015 में, हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहब भीमराव आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर, आज के दिन प्रति वर्ष, संविधान दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यह संविधान के महान शिल्पकार और संविधान के आदर्शों को श्रद्धा के साथ स्मरण करने का दिन है।

भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने संविधान की प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि की है तथा हमारे लोकतन्त्र का मान बढ़ाया है। इसके लिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के इन तीनों स्तंभों को शक्ति प्रदान करने वाले निष्ठावान देशवासियों को मैं साधुवाद देती हूं।

26 जनवरी 1950 को हमारा गणराज्य अस्तित्व में आया। उसके दो दिन बाद, यानी 28 जनवरी 1950 के दिन उच्चतम न्यायालय का शुभारंभ हुआ। हमारे गणतन्त्र की गौरवशाली यात्रा में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, district और lower courts ने अमूल्य योगदान दिया है। इसके लिए मैं देश की न्यायपालिका से जुड़े सभी लोगों की प्रशंसा करती हूं।

पिछले सात-आठ दशकों के दौरान जीवन के अनेक क्षेत्रों में कल्पनातीत बदलाव आए हैं। विशेषकर technology और media का प्रभाव निरंतर अधिक व्यापक और गहरा होता जा रहा है। बदलती परिस्थितियों और अपेक्षाओं के अनुसार अपनी भूमिका निभाते हुए न्यायपालिका ने न्याय के मूल आदर्शों को सुदृढ़ बनाए रखा है।

समय-समय पर भारत की न्यायपालिका ने स्वयं judicial accountability पर विशेष बल देकर संविधान निर्माताओं के आदर्शों को फलीभूत किया है। Judicial independence तथा judicial accountability का समन्वय न्यायपालिका की भूमिका को शक्ति प्रदान करता है।

भारतीयता हमारे संस्थानों की कार्य-संस्कृति के सभी आयामों में परिलक्षित होनी चाहिए। देश में इस चेतना का प्रवाह तीव्र हो रहा है कि सांस्कृतिक-गौरव का भाव, हीन भावना से मुक्त करता है तथा देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, अपनी विरासत पर गर्व करने तथा गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के प्रयासों में विशेष गति आई है। अनेक संस्थानों, मार्गों, कार्यालयों और स्थलों इत्यादि के नामकरण में भारतीय परंपरा के आदर्श दिखाई देते हैं। दंड की जगह न्याय पर आधारित विचारधारा के अनुरूप लागू की गई 'भारतीय न्याय

संहिता' को न्यायपालिका द्वारा त्वरित न्याय के माध्यम के रूप में सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हमारे देश में राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए Excellency शब्द का प्रयोग अब नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में राजतंत्र से जुड़े नाम 'दरबार हॉल' की जगह अपनाए गए 'गणतन्त्र मंडप' का नाम लोग सहजता से लेते हैं क्योंकि यह नाम लोकतन्त्र और हमारे संवैधानिक गणराज्य से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुसार सभी नागरिकों का भी यह दायित्व है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। De-colonisation के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाकर न्यायपालिका, हमारे गणराज्य के संवैधानिक आदर्शों को शक्ति प्रदान कर सकती है। न्यायपालिका और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने के प्रत्येक प्रयास से, न्याय-व्यवस्था के प्रति लोगों की आस्था और गहरी होती है।

यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारा संविधान भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। पिछले वर्ष, 25 दिसंबर के दिन, मुझे अलचिकि लिपि में संविधान के संताली संस्करण का लोकार्पण करने का अवसर मिला था। उस संताली संस्करण में संविधान की प्रस्तावना का एक अंश है - ᱚᱢᱫᱟ ᱡᱚᱱᱟᱜᱚᱱ ... ᱱᱟ.ᱫ ᱢᱩ ᱜᱢ᱾ᱚ ᱩᱫᱥᱟᱨᱤᱜ ᱚᱢᱩᱢᱚᱢ.ᱩᱨ ᱵᱟᱱᱟ ᱢᱮᱞᱚᱞ ᱯᱢ.ᱜᱨᱟᱜ ।
यह पंक्ति 'समस्त नागरिकों को ... प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए', संविधान में निहित एक प्रमुख आदर्श को व्यक्त करती है। ओड़िशा में, राइरंगपुर की Notified Area Council में पार्षद एवं उपाध्यक्ष की भूमिका से लेकर भारत के राष्ट्रपति के पद तक की मेरी यात्रा, संविधान द्वारा दी गई 'अवसर की समानता' का ही परिणाम है। यह हमारे लोकतन्त्र की शक्ति का प्रमाण भी है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारा

संविधान अब भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन-जन के हृदय तक पहुंच रहा है।

देवियो और सज्जनो,
समय पर न्याय मिलना, न्याय की अवधारणा का अनिवार्य अंग है। समय पर न्याय सुलभ कराने के लिए न्यायपालिका द्वारा पद्धतियों को सरल बनाने, technology का उपयोग करने तथा विशेष न्यायालयों का गठन करने जैसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के बावजूद pending cases की विशाल संख्या हमारे justice delivery system के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका के प्रत्येक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बल पर, इस चुनौती का समाधान किया जा सकेगा।

सबके पास High Courts और Supreme Court तक पहुंचने के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। नि:शुल्क कानूनी सहायता पहुंचाकर, समान अवसर के आधार पर, न्याय सुलभ कराना, हमारे संविधान का निर्देश है। इस निर्देश का यह लक्ष्य है कि आर्थिक या अन्य किसी विवशता के कारण, कोई भी नागरिक, न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। यह महत्वपूर्ण है कि गरीब और वंचित वर्गों के लोगों के लिए legal representation की quality और reliability पर भी ध्यान दिया जाए। इस संदर्भ में District, State और National Legal Service Authorities को और अधिक प्रयास करके, कमजोर और वंचित वर्गों तक न्याय पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

देश के कुछ जिलों में, बड़ी संख्या में, criminal cases लंबित हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्र सरकार द्वारा, उन जिलों में, इस चुनौती का सामना करने के लिए, National Law Universities से सहयोग लेने की पहल की गई है। National Law Universities के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और pro-bono clubs को इस प्रयास में शामिल किया जा रहा है। ऐसे कार्य, विद्यार्थियों में संवेदनशीलता का संचार करेंगे तथा उन्हें जमीनी स्तर की कानूनी प्रक्रियाओं से अवगत कराएंगे। हमारे देश की legal education में empathy और ethics को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कानूनों के अध्ययन को दिया जाता है।

I will request the leading lights in the lawyers' community to present inspiring examples for young lawyers. The young lawyers should see that excellence can be blended with empathy, and competence with compassion.

Ladies and gentlemen,

Our Constitution is the longest written constitution in the world. However, the large size of the Constitution does not imply that it is difficult to comprehend and follow it. In fact, the spirit of our Constitution is captured in the four ideals of justice, liberty, equality and fraternity. By following these ideals, an institution or individual follows the spirit of our Constitution.

Larger and more active participation of women in the Bench and Bar will help make our society more fair, just, equitable and inclusive. It is worth mentioning that a great Indian woman, Hansaben Mehta had played a decisive role in defining universal human rights. She was a member of the Constituent Assembly and also a delegate to the United Nations Commission on Human Rights. The Universal Declaration of Human Rights was being drafted during the years 1947-48. The draft of Article-1 of the Declaration was, "All ***men*** are born free and equal". Hansaben Mehta got the draft changed and

Article-1 was finally modified into, “All ***human beings*** are born free and equal”. It was not merely about changing a word. It was about changing the world-view on human rights. Women have made valuable contribution to jurisprudence in our country. A woman’s perspective can add to inclusion, diversity and balance to judicial decision making. We should encourage greater participation by women as judges and lawyers. Greater emphasis on inclusivity and merit will further strengthen our judiciary.

I am glad to note that the Supreme Court has taken steps to promote access to justice by prioritising cases relating to specially abled persons, acid attack victims, senior citizens aged above 80 years and persons below the poverty line. I appreciate the steps taken for more effective case management and listing, promoting digital transformation, and encouraging amicable resolution of disputes.

धन्यवाद!

जय हिन्द!

जय भारत!